उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-47/2015/ 132 रिट/26-3-2015-4(22)/2015
लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2015
कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री श्री दयानन्द स्वरूप अग्रवाल, टिप्टीगंज पत्थर वाली गली, बुलन्दशहर का अन्तजातीय विवाह डा0 वीर सिंह (हिन्दू जाटव) निवासी बुलन्दशहर से दिनांक 11.06.1979 को हुआ था। विवाह के उपरान्त श्रीमती सुनीता सिंह को 'जाटव' अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या-744 दिनांक 29.11.1991 को तहसीलदार, बुलन्दशहर द्वारा निर्गत किया गया।

2- श्रीमती सुनीता सिंह को 'जाटव' अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय में प्रवक्ता (हिन्दी) के पद पर दिनांक 16.12.1993 को नौकरी प्राप्त कर ली गयी और बाद में विद्यालय में उप-प्रधानाचार्य के पद पदोन्नति प्राप्त कर ली गयी। कदाचित शिकायत प्राप्त होने पर तहसलीदार सदर, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक-22/27-6-2013 द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। तत्क्रम में केन्द्रीय विद्यालय द्वारा श्रीमती सुनीता सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी।

3- तहसीलदार, बुलन्दशहर के उक्त आदेश दिनांक 22/27-6-2013 के विरूद्ध श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जनपद स्तरीय समिति ने अपने आदेश दिनांक-03.09.2013 में अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री श्री दयानन्द स्वरूप को जन्म अग्रवाल परिवार में होने बाद में डा0 वीर सिंह 'जाटव' अनुसूचित जाति से शादी हुयी उनके द्वारा स्वयं मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-15682/2014 में प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनका जन्म अनुसूचित जाति में नही बल्कि अग्रवाल परिवार में हुआ था। जनपद स्तरीय समिति ने अपने उक्त आदेश में यह माना है कि किसी जाति की जाति का निर्धारण उसके पिता से होता है न कि विवाह किसी अन्य जाति से कर लेने से उसकी जाति बदल जाती है। अतएव श्रीमती सुनीता सिंह की जाति अग्रवाल होने की पुष्टि करते हुये जनपद स्तरीय समिति ने उनके प्रत्यावेदन दिनांक-06.01.2014, दिनांक 10.02.2014 एवं 15.04.2014 को निरस्त कर दिया गया।

4- जनपद स्तरीय समिति के उक्त निर्णय दिनांक-03.09.2013 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-55295/2014 योजित की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 24.09.2014 के क्रम में याची श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा मण्डलीय, अपीलीय फोरम, मेरठ के समक्ष अपील दिनांक 03.12.2014 योजित की गयी थी। मण्डलीय, अपीलीय फोरम, मेरठ के आदेश दिनांक 27.12.2014 जो पत्रांक-1106, दिनांक 14.01.2015 द्वारा निर्गत किया गया है, में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के आदेश से सहमत होते हुये तदनुसार याचिनी श्रीमती सुनीता सिंह की अपील निरस्त कर दी गयी ।

5- श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम के उक्त निर्णय दिनांक-27.12.2014 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-13.03.2015 प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-16.04.2015 को आहूत की गयी। उक्त बैठक की सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सिंह को दी गयी थी। श्रीमती सुनीता सिंह सुनवाई के समक्ष राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुयी। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उनके पक्ष को सुना गया। अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा सुनवाई में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-909/1971, एन0ई0 होरों बनाम श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह में पारित के आदेश दिनांक-02.01.1972, सिविल अपील संख्या-2647/1991 स्टेट आफ कर्नाटका व अन्य बनाम् के0बी0 उर्सावेन्द्र कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक-10.03.1992 एवं सिविल अपील संख्या-2270-73/1987 में पारित आदेश दिनांक-30.03.1990 एवं सिविल रिट पिटिशन संख्या-1211/76 में पारित आदेश दिनांक-30.08.1979 के संगत उद्धरण की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

सिविल अपील संख्या-909/1971, एन0ई0 होरों बनाम श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह में पारित आदेश दिनांक-02.01.1972 के प्रस्तर-22 में यह उल्लिखित है Reverting to the argument that a non-Munda woman canot become a member of the Munda tribe by marriage even if the marriage be valid becouse the Mundas are a patriachical socitey and constitute an ethnic group, we have already and referred to the evidence of the witnesses produced by the respondent who had made special research in the matter and even if we exclude the opinion of P.W. 4 who was superintendent of anthropological Survey of india that the Parha was the final authority in the matter of accptance of a non Munda girl tn the community but the rest of his evidence cannot be brushed aside. From all this evidence its proved that once the marriage of a Munda male with a non-Munda female is approved or sanctioned by the Parha panchayat they become members of the community. तथा उक्त आदेश दिनांक-02.01.1972 के प्रस्तर-23 में यह अंकित है कि And even if the respondent is not a member of the Munda tribe by virtue of birth she having been married to a Munda after due observance of all formalities and after obtaining the approval of the enders of the tribes would belong to the tribal communtiy to which her husband belongs on the analogy of the wife taking the husband's domicile.

सिविल अपील संख्या-2647/1991 स्टेट आफ कर्नाटका व अन्य बनाम् के0बी0उर्सावेन्द्र कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक-10.03.1992 में यह अंकित है कि Having heard learned counsel for the parties on the subject and having regard to the facts and circumstances of this case, we take the view that the Tribunal was not in any way wrong in direting the commissin to examine the claim of respondent No I afresh on having taken the view that the income of the adoptiv fomily would govern the status of respondent No. I it appears to us that when respondent No. I was taken in adioption in his adoptive family in the year 1979 he could not have visualized or anticipated or calculate that one day in August 1987 he would be seeking a post of Sericultural Extension officer so as to clain such a reservation. When the factum of adoption and its ledality remains unquestionable the law of the Hindus on the subject must necessarily have its consequences. Having gone to his new family respondent no.I rightfully acquired their economic status. It is just a matter of fate that in his adopted fomily he has comparatively been wros off but it could be the other way had his adoptive family been affluent.The view of the Tribunal in these circumstances appears to us reasonable requiring no interference at our. The appeal thus must fail.

6- राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अवलोकन में यह पाया कि मा0 न्यायालय ने उक्त याचिकाओं में जो आदेश पारित किया गया है उनकी प्रकृति पृथक-पृथक है। यहां श्रीमती सुनीता सिंह (अपीलार्थी) का प्रकरण मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों से आच्छादित नही है। यह सर्वविदित है कि किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होता है। अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सिंह के पिता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री दयानन्द स्वरूप अग्रवाल निवासी टिप्टीगंज पत्थर वाली गली, बुलन्दशहर है, जो अग्रवाल सामान्य जाति के है। रिट याचिका संख्या-15682/2014 में दाखिल किये गये जबाब में याची श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनका जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ है एवं वह डा0 वीर सिंह जाटव, अनुसूचित जाति से अन्तजातीय विवाह की हैं।

7- अतएव राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्रीमती सुनीता सिंह, अनुसूचित जाति (जाटव) की सदस्य नही है, बल्कि वह सामान्य (अग्रवाल) जाति की है। अतएव राज्य स्तरीय समिति मण्डलीय अपीलीय फोरम, मेरठ मण्डल मेरठ के उक्त निर्णय दिनांक-27.12.2014 में हस्ताक्षेप का अवसर नही पाती है। तदनुसार श्रीमती सुनीता सिंह की अपील दिनांक-13.03.2015 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित की जाती है।

सुरेन्द्र विक्रम निदेशक, निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0 शासन

<u>पृ0संख्या-47/2015 (1)/26-3-2015 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी डा0 वीर सिंह निवासी ग्राम-अलावा रहीमपुर, तहसील व जनपद-बुलन्दशहर
6. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in